

भाग - III

संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) ? यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग 'ख' में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	डिण्डौरी वनमण्डल के अंतर्गत परिक्षेत्र पूर्व करंजिया में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, अमरकंटक, अनूपपुर द्वारा जल प्रदाय योजना के तहत बाँध निर्माण हेतु डिण्डौरी वनमण्डल के अंतर्गत पूर्व करंजिया परिक्षेत्र के कक्ष क्र० आर० एफ० 834 रकबा 14.00 हे० एवं अनूपपुर वनमण्डल के अंतर्गत 3.418 हे० कुल 17.418 हे० वनक्षेत्र वन सांक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, डिण्डौरी द्वारा वनक्षेत्र व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। आवेदक विभाग को 14.00 हे० वनक्षेत्र व्यपवर्तित करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 26/04/2023

स्थान :- जबलपुर

(कमल अरोरा, भा० व० से०)
वन संरक्षक

मध्यवर्त जबलपुर
25/4/23